रणथम्भौर में बढ़ा बाघों का कुनबा, बाघिन टी-125 सिद्धि ने तीन शावकों को जन्म दिया

सवाई माधोपुर (निस)। रणथम्भौर नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी आई है और रणथम्भौर में बाघ बाघिन के कुनबे में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है।

इस बार रणथंभौर की बाघिन सिद्धि से यह खुशखबरी मिली है ,रणथंभौर में बाघिन सिद्धि टी-125 ने तीन शावकों को जन्म दिया है। जिनकी तस्वीर वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में कैद हुई है। बाघिन के शावकों को जन्म देने की खबर के बाद वन्यजीव प्रेमियों में खुशी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक रणथंभौर की बाघिन सिद्धी टी 125 की तीन नये शावकों के साथ फोटो रणथम्भौर की कुण्डेरा रेंज में लगे वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में कैद हुई है। बाघिन व शावकों की यह तस्वीर राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। वन विभाग के मुताबिक बाघिन सिद्धी ने रणथम्भौर के जोन नंबर पांच के अणतपुरा वन क्षेत्र में शावकों को जन्म दिया है।

फिलहाल वन विभाग की द्वारा बाघिन व शावकों की मॉनिटरिंग और ट्रेकिंग शुरु कर दी गई है। बाघिन सिद्धी की उम्र करीब साढ़े छह साल है। यह बाघिन सिद्धि टी-125 रणथम्भौर की मशहूर बाघिन एरोहेड टी-84 की बेटी है और बाघिन टी-124 रिद्धी की बहन है। बाघिन टी-125 सिद्धि के तीन शावकों को जन्म देने के बाद अब रणथम्भौर में बाघ बाघिन और शावकों की संख्या-81 पहुंच हो गई है। बाघिन के शावकों के जन्म देने की खबर को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है।

सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में वन विभाग की ओर से बाघिन टी-125 सिद्धि की फोटो ट्रेप की गई।

राज्य सरकार निवेशकों के लिये नीतियों में लगातार सुधार कर रही है : भजनलाल शर्मा

सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने कई निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल मौजूद रहे।

सियोल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पहला अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में भाग लिया, जिसे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किया गया। इस इन्वेस्टर मीट के जरिए मुख्यमंत्री शर्मा ने दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय और निवेशकों को राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने अगले 5 वर्षों के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के अपनी सरकार के एजेंडे को रेखांकित किया और निवेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य में 'व्यापार करने में आसानी' हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाओं और नीतियों में लगातार सुधार किया जा रहा है।

स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को राजस्थान में कारोबार करने के लिए आमंत्रित करते हुए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राजस्थान सरकार दक्षिण कोरिया को केवल निवेश के स्त्रोत के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि दक्षिण कोरिया के व्यापारिक समुदाय के साथ सभी क्षेत्रों में एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने की आकांक्षा रखती है। निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत हमारी सरकार जल्द ही कई नई नीतियां लाने जा रही है, जो राज्य में व्यापार और कारोबार के माहौल को और बेहतर बनाएंगी। इनमें नई औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) नीति शामिल हैं।

इन्वेस्टर मीट के अलावा, मुख्यमंत्री शर्मा ने आज यहां कई बड़ी दक्षिण कोरियाई कंपनियों और एसोसिएशन, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, स्टार्टअप्स और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं, के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की। इसमें पॉस्को इंटरनेशनल, एसजी कॉरपोरेशन (दक्षिण कोरिया की एक एस्फॉल्ट और कंक्रीट निर्माता कंपनी), जीएस ईएंडसी (दक्षिण कोरिया की एक अक्षय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज कंपनी), हनवा सॉल्यूशन (एक केमिकल कंपनी) और जियोनबुक क्रिएटिव इकोनॉमी इनोवेशन सेंटर (जेसीसीईआई), जो स्टार्टअप्स के लिए इन्क्यूबेटर का काम करती है, के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक शामिल है। इसके अलावा, इन्वेस्टर मीट के दौरान मौजूद कई निवेशकों ने भी राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई।

इनमें, पॉस्को इंटरनेशनल और एसजी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और राजस्थान में एस्फॉल्ट यूनिट लगाने में रुचि दिखाई और अपने उत्पादों के जरिए राज्य में बेहतर सड़कें बनाने की पेशकश की। इस बैठक में प्रदेश में निवेश हेतु सब्सिडी, बुनियादी ढांचा सेवाओं, कच्चे माल की खरीद और अन्य आवश्यकताओं के संबंध में अपनी अपेक्षाएं भी उन्होंने सरकार से साझा कीं।

जेसीसीईआई के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दोनों पक्षों द्वारा उद्यमिता के बारे में ज्ञान के आदान-प्रदान और स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय के विकास में मदद करने के अवसरों पर विचार किया गया। इसके अलावा, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष इन्वेस्टर रोडशो का भी यहां आज आयोजन किया गया।

एस.ओ.जी. ने बाबूलाल कटारा, रामूराम राईका और उसके बेटे-बेटी को आर.पी.एस.सी. कार्यालय में ले जाकर तस्दीक करवाई

पेपर लीक के इन सभी आरोपियों को अपराधियों की तरह आर.पी.एस.सी. दफ्तर लेकर पहुंची पुलिस

जयपुर/अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर लीक प्रकरण में आरोपी निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम राईका, उसके बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय में एसओजी ने अपराधियों की तरह पुलिस घेरे में ले जाकर तस्दीक कराई।

बाबूलाल कटारा जो कभी आरपीएससी में साहब हुआ करते थे। आज अपराधियों की तरह पुलिस घेरे में अपने चैंबर तक लाए गए और उन्हीं की मौजूदगी में उनका सीज चैंबर खुलवाया गया। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक में आरोपी बाबूलाल कटारा ने ही पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भर्ती परीक्षा का पेपर दिया था। कटारा पर सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने का भी आरोप है। अब दोनो को एक ही कमरे में बैठाकर आमने सामने एसओजी पूछताछ कर रही है।

सूत्रों के अनुसार आयोग के अफसरों और कटारा से आमने- सामने बैठाकर पूछताछ होगी। इधर, जोधपुर के एक स्कूल में एसआई पेपर में नकल करवाने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी की पूछताछ में सामने आया है पेपर से एक दिन पहले बाकायदा आरोपी कैंडिडेट्स के साथ स्कूल संचालक ने मॉकड्रिल की थी। पूरा सौदा 12 लाख रुपए में तय हुआ था। फिलहाल बाबूलाल कटारा को लेकर आरपीएससी पहुंची एसओजी की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। यहां कटारा से पेपर लीक को लेकर भी सवाल-जवाब किए गए हैं।

दरअसल, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। राईका ने पूछताछ में बताया था कि उसने पेपर कटारा से लिया था। इसके बाद कटारा को जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले, एसओजी ने 31 अगस्त को राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) से 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए पांच आरोपियों में राईका का बेटा और बेटी भी शामिल है। एसआई परीक्षा में अब तक 70 जने गिरफ्तार हो चुके।

- **बाबूलाल कटारा जो कभी आरपीएससी में साहब हुआ करते थे, उन्हें अपराधियों की तरह पुलिस घेरे में चैंबर तक लाया गया और और उन्हीं की मौजूदगी में उनका सीज चैंबर खुलवाया गया।**
- **सूत्रों के अनुसार जल्द ही एस.ओ.जी. टीम राजस्थान लोक सेवा आयोग के अफसरों और बाबूलाल कटारा से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी।**

सूत्रों के अनुसार एसओजी एसआई परीक्षा - 2021 पेपर लीक मामले में अब तक 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर सहित 70 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अलग-अलग आरोपियों से पूछताछ में डेली नए खुलासे हो रहे हैं। अब जोधपुर के एक परीक्षा सेंटर को लेकर चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दरअसल, परीक्षा से एक दिन पहले 14 सितंबर 2021 को परीक्षा केंद्र पर नकल करवाने के लिए बाकायदा मॉकड्रिल की गई थी।

इसमें पूर्व सैनिक, उसकी पत्नी, महिला मित्र और अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठने और पेपर सॉल्व करके पर्ची आने तक की प्रैक्टिस की गई। परीक्षा केंद्र पर महिला मित्र की मदद से ही साठगांठ करवाई गई थी। नकल से पूर्व सैनिक बिजेंद्र कुमार की भर्ती परीक्षा में 92वीं रैंक बनी। वहीं, पेपर सॉल्वर ने अब तक 100 से अधिक अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाकर सरकारी नौकरी दिलवाई। परीक्षा केंद्र पर महिला मित्र की मदद से ही साठगांठ करवाई गई थी। नकल से पूर्व सैनिक बिजेंद्र कुमार की भर्ती परीक्षा में 92वीं रैंक बनी। वहीं, पेपर सॉल्वर ने अब तक 100 से अधिक अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाकर सरकारी नौकरी दिलवाई। बिजेंद्र पूर्व सैनिक कोटे से परीक्षा में शामिल हो रहा था। इस पर बिजेंद्र ने खुद की महिला मित्र ब्यूटी पार्लर संचालिका रितु शर्मा से संपर्क कर सेंटर पर साठ-गांठ की थी। रितु ने खेमे का कुआं निवासी फर्नीचर का काम करने वाले अर्जुन प्रजापत से बात की। अर्जुन ने रोहिलाकलां में स्कूल संचालक अनिल सांखला से संपर्क करवाया। अनिल ने आदर्श स्कूल के मालिक सोमेश गोदारा से बात की। इसमें 12 लाख रुपए में पेपर सॉल्व करवाने का सौदा तय हुआ। पूर्व सैनिक बिजेंद्र कुमार ने सिलेक्शन के बाद निर्धारित राशि में से करीब 3 लाख रुपए नहीं दिए थे। इसको लेकर आपस में विवाद चल रहा था। इस बीच अर्जुन और रितु ने मिलकर एक कहानी रची। जिसमें एसओजी जांच से बचाने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग की गई।

बिजेंद्र खुद के साथ करीब 8 लाख लेकर आया। देसूरिया गांव में अपने फौजी दोस्त के घर रुका। वहां से परीक्षा से दो दिन पहले 13 सितंबर 2021 को अपनी पत्नी और महिला मित्र रितु के साथ आया। रितु ने खुद के मित्र अर्जुन को सूचना देकर परीक्षा केंद्र पर जानकारी दिलवाई। जांच में सामने आया कि पेपर सॉल्वर ने अब तक 100 से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवाई है। बिजेंद्र कुमार, उसकी महिला मित्र और पत्नी 14 सितंबर 2021 को ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। वहां पर स्कूल के मालिक सोमेश ने केंद्र पर परीक्षा कक्ष में बैठने से लेकर पेपर सॉल्व होकर आने तक की मॉकड्रिल करवाई। अभ्यर्थियों को केवल परीक्षा के दौरान पेपर सॉल्व करने का नाटक कर टाइम पास करने के लिए कहा गया। पेपर सॉल्व होकर पर्ची आने के बाद में ओएमआर भरवाई जानी थी। इस दौरान स्कूल संचालक को रुपए भी दे दिए गए थे।

वोकल फ़ोर लोकल की थीम पर तैयार हो राजस्थान हाउस : दिया कुमारी

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को नई दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण करके हाउस के निर्माण की कार्य प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की जिसमें इंजीनियरों ने राजस्थान हाउस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया कि कहां तक कार्य हो चुका है और आगे क्या कुछ करना है। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान निर्माणाधीन हाउस के पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हुए उन्होंने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि इस निर्माणाधीन भवन के तैयार होने के बाद जब यहां पर लोग आए, इसके अंदर जब लोग पहुंचे तो आगंतुकों को लगे कि हम राजस्थान आ गए हैं। यहां की सारी व्यवस्थाएं राजस्थानी कल्चर से मेल खाते हुए डेवलप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग एक रिव्यू मीटिंग भी बुलाए और रिव्यू मीटिंग करके हमें जरूरत पड़ेगी तो इसमें जरूरी बदलाव भी किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बनकर तैयार होने वाला यह भवन सिर्फ एक बिल्डिंग मात्रा नहीं बल्कि राजस्थान का दर्पण होना चाहिए।

दिया कुमारी ने सोमवार को दिल्ली में निर्माणाधीन राजस्थान हाउस का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान दिया कुमारी ने अधिकारियों और इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिए की इस भवन के निर्माण कार्य में लगने वाली हर एक सामग्री में राजस्थानी निर्माण सामग्री को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वह राजस्थानी पत्थर हो चाहे वह राजस्थानी पेंटिंग्स के साथ-साथ राजस्थान के हुनरबंद कारीगरों को भी इसके निर्माण कार्य में प्राथमिकता के साथ स्थान दिया जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सके और इस भवन के निर्माण में राजस्थानी कला और संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बनने वाले विश्व स्तरीय भवनों में जब राजस्थानी पत्थर का उपयोग हो सकता है तो राजस्थान हाउस के निर्माण में भी राजस्थानी पत्थर का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान हाउस के निर्माण के दौरान उसमें एक सूचना केंद्र और आगंतुकों और व्यवसायियों को राजस्थान से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए एक बिजनेस सेंटर बनाने के निर्देश भी दिये।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सत्ताईसवीं पुण्यतिथि

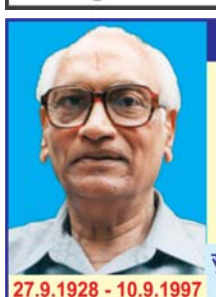

स्व. श्री सतीश चन्द्र जी अग्रवाल
- सदस्य: राजस्थान विधान सभा-1957-1972
- सांसद सदस्य: लोक सभा-1977-1984
- वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार -1977-1979
- सांसद एवं उपनेता: भाजपा, राज्य सभा-1994-1997
- वरिष्ठ अधिवक्ता

शत -शत नमन

27.9.1928 - 10.9.1997

सुनील (पुत्र), डॉ. शैलजा पत्नी स्व. डॉ. राहुल (पुत्र-पुत्रवधू), अलका-हेमन्त (पुत्री-दामाद), हर्षित-कनिका, एडवोकेट शशांक-वर्णिका (पौत्र-पौत्रवधू), नेहा-कपिल, नंदिता-रौनक (पौत्री-दामाद), भावना (नाती), नम्रता-मनन (नाती-दामाद), जहारा (प्रपौत्री), अरहान, विख्यात, शिवेन, शिवांग (प्रपौत्र)

RA&SS

कार्यालय उपायुक्त, (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक:-एफ.55 ( ) वि.जोन/ न.नि.ज.(ग्रे)/2024/1738
सार्वजनिक सूचना दिनांक:- 06/09/2024
भूखण्ड सं. 45, कैलाश नगर, झोटवाडा, जयपुर (खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती सारा देवी पत्नी श्री हिरानन्द के पक्ष में क्षेत्रफल 211.06 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री अजीत सिंह चौहान पुत्र श्री सुशील सिंह ने भूखण्ड सं. 45, कैलाश नगर, झोटवाडा, जयपुर (खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति) का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त
विद्याधर नगर जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल जज एवं महानगर मजि. स्थान: क्र. सं. 17 जयपुर महा. नगर प्रथम
विमलेश विरूद्ध नगर निगम ग्रेटर
वाद बाबत- दावा वाद संख्या: 375 सन. 23
बनाम आम सूचना - आम आदमी
ने आपके विरुद्ध के लिए वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 12 माह 9 सन् 24 को दिन में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे समयक़ अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैं कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 4 माह 9 सन् 24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायालय गोल मोहर
आज्ञा से- रीडर,
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
क्रम सं.- 17, जयपुर महानगर, सांगानेर प्रथम

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर Email – rssciaipur@gmail.com Phone – 0141-2742468
क्रमांक: एफ.10(1)/खे.अ./2023-24/1103 सीमित निविदा 68 दिनांक 06.09.2024 दिनांक : 06.09.2024
राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल अकादमियों/स्कूल, जयपुर हेतु खेल किट (स्पोर्टस वीयर सेट) की आवश्यकता है जिस हेतु पंजीकृत निविदादाताओं से सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा निर्धारित समय पर निविदादाताओं की उपस्थिति में समिति द्वारा खोली जायेगी।

क्र.सं.	सेवा/सामग्री/कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)
1	खेल किट (स्पोर्टस वीयर सेट) के उपापन हेतु	1,95,000/-	500/-

खेल किट (स्पोर्टस वीयर) का विवरण – संलग्न

निविदा जारी करने की तिथि	दिनांक 06.09.2024
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 11.09.2024 समय प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 11.09.2024 समय दोपहर 12.00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 11.09.2024 समय सायं 04.00 बजे

शर्तें :-
1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निविदा शुल्क रू. 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) की डीडी/बैंकर चैक प्रभारी, महिला खेल अकादमी, जयपुर के नाम से संलग्न करनी होगी।
2. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता (High Quality) की होनी चाहिए।
3. दरें युक्तिसंगत (रिजनेबल) होनी चाहिए।
4. दरें F.O.R. प्रभारी, महिला खेल अकादमी, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में देनी होगी।
5. किसी भी प्रकार की काट-छांट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करने होंगे।
6. दरें अनुमोदन के पश्चात् क्रय आदेश के उपरान्त 07 दिवस में आपूर्ति करनी होगी।
7. आयकर (पैन नंबर) कार्ड, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित/हस्ताक्षरी फोटोप्रति हो, संलग्न करनी होगी। इसके अभाव में आपकी बिड निरस्त समझी जायेगी।
8. इस निविदा/बोली से संबंधित विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी/शर्तें आदि किसी भी कार्यालय कार्य दिवस/समय में तथा निम्न वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in & rssc.in पर देख/डाउनलोड कर सकते है।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर रहेगा।
10. बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र एवं वित्तीय बिड (दर) पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
11. आपूर्ति किये जाने वाले खेल किट (स्पोर्टस वीयर सेट) पर परिषद द्वारा दिये गये लोगो/मोनोग्राम की प्रिन्टिंग आगे व पीछे करनी होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
12. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूनों को क्रय समिति द्वारा गुणवत्तापूर्ण पाये जाने के उपरान्त ही वित्तीय बिड (दर) का लिफाफा खोला जावेगा।
राज.संवाद/सी/24/4902 UBN RSC2425GSOB00021 प्रभारी

राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काचरोदा (सांभरलेक) जयपुर ग्रामीण जयपुर
क्रमांक - राउमावि / काचरोदा / नीलामी / 2024-25/270-274
दिनांक-9-09-24
कार्यालय आदेश (नीलामी आदेश)
समस्त कबाडियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23.09.2024 को स्थानीय विद्यालय में प्रात 11.00 बजे अनुपयोगी सामान स्टोर भण्डार सूची के अनुसार एंव सामान की नीलामी विद्यालय प्रांगण में की जायेगी। इच्छुक बोली दाता 2 प्रतिशत राशि नकद जमा कराकर बोली में भाग ले सकता है, नीलामी से सम्बन्धित नियम / शर्ते एंव सामग्री का विवरण विद्यालय समय पर अवलोकन किया जा सकता है। सफल बोलीदाता को समस्त राशि निलामी के तुरन्त बाद जमा करानी होगी।
बोली / नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
नोट- 1. बोली दाता के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
2. स्टोर के माल की नीलामी / बोली पर 5 प्रतिशत जीएसटी अलग से देय होगा।
प्रधानाचार्य
रा.उ.मा.वि. काचरोदा (जयपुर)

Expression of Interest ("EoI"): For Sale of Energy on Long Term basis (10 Years)

Wind World Wind Farms (Rajasthan) Pvt. Limited **["WWWFRPL"]**, an IPP with a 24 MW Wind Power Project being located at Soda, Village, Jaisalmer District, Rajasthan, invites EoI for the sale of renewable energy to traders having an interstate trading licence issued by the Central Electricity Regulatory Commission **("CERC")** for interstate trading of energy for a 10-year period.

The key details of the EoI are as follows:

01. EOI Submission Address	**Mr. Mahendra Jangid,** Shri Krishna Complex 904, opposite Fun Republic, New Link Road, Andheri (west) 400053, Mumbai. Mobile No. 9987557112
02. EOI Submission E-Mail ID	Bid26062024@gmail.com
03. Last Date for Bid Submission	16.09.2024
04. Date of opening of Price Bid	23.09.2024

1. The delivery point shall be 220 KV GSS Amarsagar.
2. The power will be available in different phases starting between the period of Apr'25 to Jun'25, the contractual period will be for 10 years for the respective phases.
3. The minimum quantum offered by any bidder shall be 24 MW; otherwise, their offer shall be rejected.
4. The bidder shall quote a fixed price offer (in Rs./kWh) at which it is prepared to purchase the energy at the delivery point (Ex-Bus Power Plant) and should be limited to 3 (three) decimal points. All taxes, duties, cess, etc. imposed by the central government, state government, or local bodies as applicable on the date of the opening of the tender inquiry would be on account of the trader. The price or rate quoted should be on a fixed basis only, and there shall be no change during the contractual period of ten years.
5. A successful bidder shall be applying for the short- or medium-open access booking as per the latest open access regulations and guidelines in vogue. The successful bidder(s) shall be responsible for off-taking the entire energy produced from the wind farm from the delivery point. WWWFRPL shall in no way be liable for any other charges beyond the delivery point.
6. The DSM implication would be on the successful bidder.
7. Bidder(s) shall off take the entire generation produced from the wind farm.
8. The transmission charges (POC Injection & Withdrawal charges), transmission losses (POC Injection & Withdrawal losses), State STU Charges & Losses, RLDC/SLDC charges, application/concurrence charges or any other charges covered under Open Access Regulations notified by Central/State Electricity Regulatory Commission (CERC/RERC) and the procedure for Open Access stipulated by the Central/State Transmission Utility (CTU/STU) (as amended up to date) for off-take of energy from the delivery point if applicable shall be borne by the Purchaser/bidder.
9. WWWFRPL reserves the right to increase or decrease the quantum mentioned in the above table as per its requirements before placing the LOA or LOU with the successful bidders.
10. All the required technical/regulatory requirements for the sale of Power-on-Power exchange should be in the scope of successful bidder.
11. WWWFRPL retains the right to reject any or all bid or to accept any bid in whole or in part, as WWWFRPL deems necessary, without assigning any reason.

Expression of Interest ("EoI"): For Sale of Energy on Long Term basis (10 Years)

Wind World Wind Farms (Hindustan) Pvt. Limited **["WWWFHPL"]**, an IPP with a 60 MW Wind Power Project being located at Kita, Pithodai Ki Dhani, Village, Jaisalmer District, Rajasthan, invites EoI for the sale of renewable energy to traders having an interstate trading licence issued by the Central Electricity Regulatory Commission **("CERC")** for interstate trading of energy for a 10-year period.

The key details of the EoI are as follows:

01. EOI Submission Address	**Mr. Mahendra Jangid,** Shri Krishna Complex 904, opposite Fun Republic, New Link Road, Andheri (west) 400053, Mumbai. Mobile No. 9987557112
02. EOI Submission E-Mail ID	Bid26062024@gmail.com
03. Last Date for Bid Submission	16.09.2024
04. Date of opening of Price Bid	23.09.2024

1. The delivery point shall be 220 KV GSS Amarsagar.
2. The power will be available in different phases starting between the period of Nov'26 to Dec'26, the contractual period will be for 10 years for the respective phases.
3. The minimum quantum offered by any bidder shall be 60 MW; otherwise, their offer shall be rejected.
4. The bidder shall quote a fixed price offer (in Rs./kWh) at which it is prepared to purchase the energy at the delivery point (Ex-Bus Power Plant) and should be limited to 3 (three) decimal points. All taxes, duties, cess, etc. imposed by the central government, state government, or local bodies as applicable on the date of the opening of the tender inquiry would be on account of the trader. The price or rate quoted should be on a fixed basis only, and there shall be no change during the contractual period of ten years.
5. A successful bidder shall be applying for the short- or medium-open access booking as per the latest open access regulations and guidelines in vogue. The successful bidder(s) shall be responsible for off-taking the entire energy produced from the wind farm from the delivery point. WWWFHPL shall in no way be liable for any other charges beyond the delivery point.
6. The DSM implication would be on the successful bidder.
7. Bidder(s) shall off take the entire generation produced from the wind farm.
8. The transmission charges (POC Injection & Withdrawal charges), transmission losses (POC Injection & Withdrawal losses), State STU Charges & Losses, RLDC/SLDC charges, application/concurrence charges or any other charges covered under Open Access Regulations notified by Central/State Electricity Regulatory Commission (CERC/RERC) and the procedure for Open Access stipulated by the Central/State Transmission Utility (CTU/STU) (as amended up to date) for off-take of energy from the delivery point if applicable shall be borne by the Purchaser/bidder.
9. WWWFHPL reserves the right to increase or decrease the quantum mentioned in the above table as per its requirements before placing the LOA or LOU with the successful bidders.
10. All the required technical/regulatory requirements for the sale of Power-on-Power exchange should be in the scope of successful bidder.
11. WWWFHPL retains the right to reject any or all bid or to accept any bid in whole or in part, as WWWFHPL deems necessary, without assigning any reason.